

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक- २६-६-२३

अधिसूचना संख्या-२२/नि०सि०(वीर०)-०७-०७/२०२३/.....श्री रवि शास्त्री
(आई०डी०-५३९७), तत० सहायक अभियंता (अवर प्रमंडल पदाधिकारी), पूर्वी तटबंध अवर प्रमंडल, सुपौल
के विरुद्ध मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर के
पत्रांक-१६६९ दिनांक ३१.०५.२०२३ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इनके विरुद्ध सुपौल थाना कांड
सं०-३४६/२३ दिनांक ११.०५.२०२३ दर्ज की गयी। सुपौल थाना कांड सं०-३४६/२३ दिनांक ११.०५.२०२३
दर्ज होने के पश्चात श्री शास्त्री, तत० सहायक अभियंता दिनांक १३.०५.२०२३ से न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

सरकार के स्तर पर उक्त की पूर्ण समीक्षोपरांत लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी
सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली २००५ के नियम-९(२) में निहित प्रावधानों के तहत श्री
शास्त्री को न्यायिक अभिरक्षा में लिये जाने की तिथि १३.०५.२०२३ के प्रभाव से अगले आदेश तक के
लिए निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री रवि शास्त्री (आई०डी०-५३९७), तत० सहायक अभियंता (अवर प्रमंडल
पदाधिकारी), पूर्वी तटबंध अवर प्रमंडल, सुपौल को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं
अपील) के नियमावली, २००५ के नियम-१० के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(राशिद कलीम अंसारी)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-

/ पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रभारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के आगामी अंक
में प्रकाशनार्थ सी० डी० सहित दो प्रतियों में प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की आवश्यक प्रतियाँ जल संसाधन विभाग को उपलब्ध कराने
की कृपा की जाय।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-

/ पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त
(वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

कृ०प०उ०

ज्ञापक-

1089

/ पटना, दिनांक- 28.6.23

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग/सभी उप सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग/सभी अवर सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता (आई0टी0) आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, पटना/प्रशासन पदाधिकारी-5, 6, 7, 8, 9, 12 एवं 22 जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव